

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 142/2021

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001  
— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र बीरबल सिंह,
2. श्रीमती सजना पत्नि बीरबल सिंह, समस्त जातियान जाट, नि0 वार्ड सं0 7, भूरीवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।  
**Also At-** श्रीमती सजना, प्रोपर्टी ख0न0 101/1 रकबा 0.33, एट ग्राम ढाणी संपत सिंह, ग्रा0प0 काजला, पटवार हल्का भूरीवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
3. बीरबल सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति जाट, नि0 वार्ड सं0 7, भूरीवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
4. ईश्वर बाबा शिक्षा समिति जरिये प्रो0 विक्रम सिंह, पता ढाणी संपत सिंह, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
4. कयूम खान पुत्र अब्दुल रज्जाक, निवासी वार्ड नं0 3, बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।  
— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्क्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा ( एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 ) – प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री रोताश कुमार कुलहरी – अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से बहस के दौरान अनुपस्थित।

**आदेश**

दिनांक 11.10.2021

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन ( बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन ) के पेटे 30,00,000/-रु0 अक्षरे तीस लाख रुपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060100184179 दि0 09.08.2016 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी ख0न0 101/1 रकबा 0.33, एट ग्राम ढाणी संपत सिंह, ग्रा0प0 काजला, पटवार हल्का भूरीवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, नपति 2500 वर्ग गज अप्रार्थी श्रीमती सजना के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

- पूरब में - खाली भूमि 100 वर्ग मीटर, ख0न0 102  
 पश्चिम में - खाली भूमि 700 वर्ग मीटर, ख0न0 101/1  
 उत्तर में - ख0न0 95/2  
 दक्षिण में - ख0न0 101/2

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दि0 11.12.2020 को ( NPA ) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दि0 07.05.2021 द्वारा अं. धारा 13( 2 ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 15,23,625/रू0 अक्षरे पन्छह लाख तेईस हजार छः सौ पच्चीस रू0 मय ब्याज व खर्चा दि0 11.12.2020 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है- अचल संपत्ति प्रोपर्टी ख0न0 101/1 रकबा 0.33, एट ग्राम ढाणी संपत सिंह, ग्रा0प0 काजला, पटवार हल्का भूरीवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, नपति 2500 वर्ग गज अप्रार्थी श्रीमती सजना के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

- पूरब में - खाली भूमि 100 वर्ग मीटर, ख0न0 102  
 पश्चिम में - खाली भूमि 700 वर्ग मीटर, ख0न0 101/1  
 उत्तर में - ख0न0 95/2  
 दक्षिण में - ख0न0 101/2

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रकरण मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल

फाईनेन्स बैंक लि० की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं० 2 श्रीमती सजना के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी ख०न० 101/1 रकबा 0.33, एट ग्राम ढाणी संपत सिंह, ग्रा०प० काजला, पटवार हल्का भूरीवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, नपति 2500 वर्ग गज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू०डी०खान )  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

आदेश

दिनांक 11.10.2021